न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नंबर 2023/285

1. दूलाराम पुत्र प्रभात
2. कमली देवी पत्नी स्व. जगदीश प्रसाद
3. कौशल्या देवी पुत्री स्व. जगर्दश प्रसाद
4. गुडडी देवी पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद
5. नानूराम पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद
6. महेन्द्र पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर राज.।

—अपीलाण्टस

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र चन्द्रा जाति बलाई निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर राज.
2. फूलचन्द पुत्र रामनिवास
3. बाबूलाल पुत्र लाला
4. गोपीराम पुत्र लाखाराम
5. बल्लूराम पुत्र गणेश
6. बंशीधर पुत्र गणेश
7. रामकुवार पुत्र लाखाराम
8. कैलाश पुत्र हनुमान सहाय
9. सदानन्द पुत्र भैरू
10. धर्मदास पुत्र भैरू
11. ओमप्रकाश पुत्र भैरू
12. राजेन्द्र कुमार पुत्र हनुमान
13. कानी देवी पत्नी नाथूराम समस्त जाति बलाई, निवासी— ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर राज.
14. रामकिशोर पुत्र मन्ना
15. रामपाल पुत्र मन्ना समस्त जाति रैगर, निवासी— ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर राज.
16. गोविन्द पुत्र बालूराम
17. पांचूराम पुत्र बालूराम समस्त जाति कुम्हार, निवासी— ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर राज
18. मूल सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर राज
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर

—रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा उनवानी प्रकरण बाबूलाल बनाम फुलचन्द व अन्य पत्थरगढी प्रार्थना पत्र संख्या 30/2021 व जी. सी. एम एस नम्बर 2021/189 में दिनांक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

07.06.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार फरमाया गया

उपस्थित–

1. श्री बनवारी लाल कुमावत, वकील अपीलान्ट।
2. श्री जितेन्द्र कुमार सैनी वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 19 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–14.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 07.06.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 रकवा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127/1259 रकबा 014, कुल किता 4 का कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा आवेदन स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर का पत्थरगढी उभयपक्षकरान् की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 07.06.2023को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 07.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर दिनांक 07.06.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 127/1259 रकबा 0.14 हैक्टेयर के उत्तर दिशा मे अपीलार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि स्थित है जिसके खसरा नम्बर 127 रकबा 1.18 हैक्टेयर जो ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमे अपीलार्थीगण का पुख्ता मकान मय लेट्रीन बाथरूम मय विद्युत कनेक्शन सन् 1997 से बना हुआ है व सरकारी बोरिंग मय होद बना हुआ है तथा अपीलार्थीगण के 14–15 अरडू नीम, शीशम, शहतूत के पेड भी लगे हुये है तथा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि के मध्य मे अर्थात सीमा पर अपीलार्थीगण द्वारा खम्भे गाडकर जालीदार तारबाउण्ड्री कर रखी है जिसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलाधीन निर्णय की आड में अपीलार्थीगण की कृषि भूमि की सीमा पर स्थित तारबाउण्ड्री को खुर्द बुर्द कर अपीलार्थीगण के पुख्ता मकान को खुर्द बुर्द कर कब्जा करने पर आमादा है जबकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस सीमाज्ञान आदेश दिनांक 15.05.2019 के तहत

पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7.06.2023 को पारित किया गया है वह सीमाज्ञान आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय क्रम–4 जयपुर द्वारा दिनांक 16.08.2021 को निरस्त कर दिया व पुनः सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार महोदय आमेर को आदेशित किया जाकर पत्र दिनांक 18.08.2021 को पत्र कमांक 9095/2021 प्रेषित किया गया । उक्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध पारित किया गया है जिस कारण अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने योग्य है ।अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि की पूर्वजो के समय से लगभग 60–70 वर्षो से सीमा निश्चित चली आ रही है तथा सीमा पर जालीदार तारबाउण्ड्री मय पिल्लरो के हो रखी है तथा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त सीमा निश्चित जो कि पूर्वजो के समय से निश्चित की हुई है के अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है ।फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.05.2019 अपीलार्थीगण को बिना कोई सूचना दिये बिना ही तथा अपीलार्थीगण की व प्रत्यर्थी संख्या 1 व अन्य पडौसी खातेदारान की भूमि का मौके पर भौतिक रूप से सीमाज्ञान किये बिना ही फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.05.2019 हल्का पटवारी व तहसीलदार महोदय से मिलीभगत कर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से तैयार करवायी गयी है जिस पर ना तो अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी है। सीमाज्ञान आदेश दिनांक 15.05.2019 में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान खसरा नम्बर 120 गैर मुमकिन चाही दौरा को आधार मानकर बारी बारी से जरीब चलाकर कौने कायम कर निशानात कायम किये गये जबकि उक्त सीमाज्ञान आदेश में यह कही उल्लेख नहीं किया गया है कि किस दिशा में कितनी जमीन निकलती है जिसके बावजूद भी माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधि विरुद्ध सीमाज्ञान आदेश दिनांक 15.05.2019 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7.06.2023 को पारित करने में भंयकर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर निर्णय दिनांक 07.06.2023 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि ख्खसरा नम्बर 124 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 रकवा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127/1259 रकबा 014, कुल किता 4 का कुल रकबा 1.52 हैक्टेयरके खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाइश पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया। अपीलांट्स द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने की नियत से असत्य, मिथ्या बनावटी तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा अपील फौरे तथ्यों पर संतोषप्रद कारण के अभाव में एवं देरी ना के सम्बंध में कोई सम्यक युक्ति युक्त कारण दर्शित किये बिना ही अपील पेश की है।प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाइश पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत् उक्त खसरा नम्बर पर उभयपक्षकारान् को सूचित कर मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 15.05.2019 पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। तहसीलदार आमेर द्वारा विधिवत् दिनांक 15.05.2016 को उभयपक्षकारान् उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया।

प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रक्रिया के तहत पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। फिर भी किसी पडौसी काश्तकार खातेदार को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी भूमि मौके के अनुसार कम या ज्यादा हैतो वह राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–128 के तहत् अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने से अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पो0 द्वारा ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि ख्खसरा नम्बर 124 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 रकवा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127/1259 रकबा 014, कुल किता 4 का कुल रकबा 1.52 हैक्टेयरखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 375/214 रकबा 3.5406 है0 की पत्थरगढी का आवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पूर्व में किये गये सीमाज्ञान दिनांक 15.05.2019 के मुताबिक उभयपक्षकरान् की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 19.02.2021 दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस सीमाज्ञान आदेश दिनांक 15.05.2019 के तहत पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2023 को पारित किया गया हैं उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट उभयपक्षकारान् की अनुपस्थिति में बिना पडौसी खातेदारान् के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी के तैयार की गई है। एवं सीमाज्ञान आदेश दिनांक 15.05.2019 को निरस्त करवाने हेतु अपीलांट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2021 को पत्र कमांक 9095/2021 प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया। उक्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.05.2019 के आधार पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिया जाना उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 07.06.2023 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान् की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान किया जाकर नियमानुसार अनुमत समय में पत्थरगढी किये जाने की कार्यवाही की जावे।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर